12/6/18 वकील प्रार्थी द्वारा इजराय पामना है पटवारी हल्का एवं तहसीलदार राजाखेड़ा द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त है। इस क्रम में यह निर्देश है कि राजस्व रिकार्ड दर्ज प्रमोद पुत्र बाबूलाल एवं उमेश पुत्र बाबूलाल यदि एक हो जाते हैं तो तुरन्त क्रमानुसार डिक्री पास कर रिपोर्ट। निर्णय 25/6/18 तक इस न्यायालय से अभिलेख प्राप्त करें। निर्णय 25/6/18 को पेश हो।

25/6/18 आज पत्रावली राजस्व लोक अदालत अधिकार क्षेत्र आपके द्वारा विचार में लिया गया है। पटवारी हल्का को मौके पर ही मार्गदर्शन प्रदान किया गया, पटवारी द्वारा उसी अनुसार पालना किया जाना बताया। पटवारी हल्का पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल मुख्य हल्का बाद तब्दील आदेश पारित हेतु इजराय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार-2016